नवोदय विद्यालय समिति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग,
भारत सरकार का स्वायत्त संगठन
लेखराज पन्ना तृतीय तल, विकास नगर, सेक्टर–2, लखनऊ–226022

निविदा विज्ञप्ति
वाहन किराये पर रखे जानें हेतु

इस कार्यालय हेतु मासिक किराये के आधार पर इनोवा, आर्टिगा, स्कारपियो एवं अन्य कोई एमयूवी (डीजल) माडल–2016 एस0सी0/नान0ए0सी0 लगभग 2 वर्ष हेतु रखी जानी है। इच्छुक वाहन स्वामी/एजेन्सी से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रपत्र उपरोक्त कार्यालय से दिनांक 24.10.2016 से 05.11.2016 तक (02.00 बजे अपरान्ह तक) केवल कार्य दिवसों में **रू0 500/– (रूपये पॉच सौ मात्र)** नकद भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। निविदायें दिनांक 05.11.2016 तक (अपरान्ह 2.00 बजे तक) जमा कीं जा सकती है। प्राप्त निविदायें दिनांक 05.11.2016 को 3.30 बजे अपरान्ह में गठित कमेटी के समक्ष खोली जायेंगी। निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि स्वेच्छा से निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।

किसी निविदा/निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत एवं निरस्त करनें का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास निहित है।

निविदा विज्ञप्ति समिति की बेवसाइट **www.nvsrolko.org** पर उपलब्ध है।

दूरभाष : 0522–2738692 उपायुक्त

20.10.16
(गिरीश चन्द्र)
उपायुक्त

☎ 0522– 2738692
फैक्स-0522–2738695
तार –नवसम
नवोदय विद्यालय समिति
(मानव ससांधन विकास मत्रांलय, शिक्षा विभाग,
भारत सरकार का स्वायत्त सगंठन)

☎ 0522-2738692
Fax: 0522-2738695
Gram - NAVSAM
Navodaya Vidyalaya Samiti
(An Autonomous Organization of Ministry of human Resource Development, Govt. of India)

फा: 1–8/वाहन निविदा/नविस/लक्षे/प्रशा./2016–17
निविदा प्रपत्र संख्या–..(पृष्ठ 1 से 3 तक)
निविदा प्रपत्र का मूल्य– **रू0 500/–** (पाँच सौ केवल)
निविदा प्रपत्र विक्रय तिथि...
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 05.11.2016 **अपरान्ह 2.00 बजे तक (निविदा पेटिका के माध्यम से)।**
निविदा खोलने की तिथि एवं स्थान:दिनांक 05.11.2016 अपरान्ह 3.30 बजे, नविस क्षे0का0,लखनऊ उपायुक्त के कार्यालय में।
अग्रिम धरोहर राशि का विवरण– **रू0 20000/–**
(ई0एम0डी0) बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर संख्या...दिनांक.........................
बैंक का नाम...

क0सं0	वाहन का विवरण MUV मल्टी यूटिलिटी वेहिकल जैसे	वाहन की बनावट एवं निर्माण का वर्ष	वाहन की डीजल खपत प्रति कि0मी0	वाहन स्वामी के हस्ताक्षर
1	इनोवा (नान ए.सी./ए.सी.)	2016		
2	अर्टिगा ERTIGA	2016		
3	SCORPIO आदि या कोई अन्य MUV	2016		

नियम एवं शर्तें

1. वाहन सम्पूर्ण दिवस (24 घण्टे) के उपयोग हेतु दो वर्ष की अवधि हेतु अनुबंधित होगी जिसे आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।
2. किराये पर अनुबंधित वाहन **"4 Wheeler Innova, EARTIGA/SCORPIO** या अन्य कोई एम0यू0वी0 **(डीजल) माडल 2016** चालक सहित एवं इंधन (डीजल) रहित मासिक दर पर रखी जानी है।
3. वाहन टैक्सी कार्य हेतु परिवहन विभाग में पंजीकृत एवं आल इण्डिया **(उ0प्र0 एवं उत्तराखण्ड सहित)** परमिट प्राप्त होना चाहिये।
4. नवोदय विद्यालय समिति अनुबंधित वाहन पर केवल डीजल–व्यय वहन करेगी एवं किसी प्रकार की उपभोग कि0मी0 सीमा(कि0मी0 लिमिट) निर्धारित नहीं होगी। अन्य व्यय जैसे सर्विसिंग, रख रखाव, आयल एण्ड लुब्रिकेन्ट, पुर्जों की अदला बदली का दायित्व वाहन स्वामी का होगा। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के अंर्तगत रोड टैक्स,व्यापक बीमा (जिसमें चोरी, आगजनी एवं दुर्घटना आदि सुरक्षित हों) करवाने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।
5. वाहन स्वामी द्वारा अंकित मासिक किराये की अवधि दो वर्ष के लिये अनुबंधित की जायेगी जिसे आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है एवं उसका भुगतान प्रतिमाह वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर किया जायेगा। यह वाहन समिति परिसर में उपलब्ध गैराज में ही पार्क किया जायेगा। अनुबंधित वाहन को प्रतिमाह में एक दिन एवं वर्ष में कुल 12 दिवसों के लिये सर्विसिंग/रख रखाव हेतु दिया जायेगा। किसी भी प्रकार की मरम्मत के लिये एक साथ चार दिनों से अधिक का समय नहीं दिया जायेगा एवं इस अवधि हेतु वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था वाहन स्वामी को करनी होगी। यदि वाहन स्वामी वैकल्पिक वाहन उपलब्ध नहीं करा पाता है तो इस अवधि हेतु उसके मासिक किराये में से **रूपये 1000/–(रूपये एक हजार मात्र)** प्रतिदिन के निमित्त अथवा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा यदि दूसरा वाहन लिया जाता है तो उस पर किये गये वास्तविक व्यय (जो भी अधिक हो) की राशि काट ली जायेगी। अनुबंधित वाहन का उपयोग पूर्णत: कार्यालय/विभागीय उपयोग हेतु संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्यों के अंर्तगत किया जायेगा। साथ ही आवष्यकता पड़नें पर अन्य राज्यों में भी वाहन का उपयोग किया जा सकता है।
6. अनुबंध के समय निविदादाता को रूपये 30,000/–प्रतिभूति राशि के रूप में समिति में जमा करनी होगी जिसमें से अग्रिम धरोहर राशि रू0 20000/– समायोजित कर दी जायेगी अर्थात अनुबंध के समय मात्र रू0

पृष्ठ...2/-

0522– 2738692
फैक्स-0522–2738695
तार –नवसम
नवोदय विद्यालय समिति
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार का स्वायत्त संगठन)

0522-2738692
Fax: 0522-2738695
Gram - NAVSAM
Navodaya Vidyalaya Samiti
(An Autonomous Organization of Ministry of human Resource Development, Govt. of India)

30000/– प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी।यह प्रतिभूति सामान्यतः अनुबंध समाप्ति पर वापस कर दी जायेगी।

7. वाहन स्वामी को अनुबंधित वाहन के साथ वाहन एवं चालक द्वारा संतोषजनक एवं सुरक्षित सेवायें समिति को देने की जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसा न करने पर एवं संतोषजनक सेवायें न मिलने पर वाहन के अनुबंध को किसी भी समय व बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है। यह अधिकार उपायुक्त नवोदय विद्यालय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

8. अनुबंधित वाहन के साथ उपलब्ध कराये गये चालक/ड्राइवर के आचार एवं कार्य व्यवहार की जिम्मेदारी वाहन स्वामी पर होगी। यदि चालक के आचार व्यवहार के विरुद्ध कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त होती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा। समिति द्वारा चालक का पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा।

9. वाहन हेतु चालक सहित प्रति माह किराये की दरें अंकित करें। यदि चालक सहित वाहन उपलब्ध कराना है इसके लिये चालक के पास मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र में वाहन चलाने का वैध कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेन्स होना चाहिये।

10. निविदादाता /इच्छुक एजेन्सी को विधिवत भरे हुये निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 20000/–(रूपये बीस हजार मात्र) बैंक डाफ्ट /पे आर्डर के रूप में जो "Deputy Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, Regional Office, Lucknow" को देय हो, धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा। (यह राशि किसी भी दशा में नकद या चेक द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी)। निविदा स्वीकृत न होने की स्थिति में यह धरोहर राशि अपने मूल रूप(बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर) में वापस कर दी जायेगी।

11. वाहन हेतु निविदादाता द्वारा दी गयी किराये की दरें स्वीकृत होने पर यदि वाहन स्वामी अनुबंध करने से मना करता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

12. वाहन को अच्छी हालत में रखने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।
13. वाहन में रखी लाग बुक को भरने की जिम्मेदारी वाहन चालक की होगी।
14. लखनऊ नगर क्षेत्र में रहने वाले वाहन स्वामियों को वरीयता दी जा सकती है।
15. नवोदय विद्यालय समिति,लखनऊ संभाग के पास किसी भी निविदा को बिना किसी कारण के निरस्त करने के अधिकार सुरक्षित रहेंगें।

उपायुक्त

निविदा प्रपत्र जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर।

कृ पृ.-- 3/-

☎ 0522– 2738692
फैक्स-0522–2738695
तार –नवसम
नवोदय विद्यालय समिति
(मानव ससांधन विकास मत्रांलय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार का स्वायत्त सगंठन)

☎ 0522-2738692
Fax: 0522-2738695
Gram - NAVSAM
Navodaya Vidyalaya Samiti
(An Autonomous Organization of Ministry of human Resource Development, Govt. of India)

वाहन स्वामी द्वारा प्रमाण पत्र

मैंनें निविदा प्रपत्र में क्रम संख्या 01 से 15 तक दिये गये नियम एवं शर्तों को भली भांति पढ़कर समझ लिया है एवं मैं उन पर अपनी सहमति प्रकट करता हूँ। मेरे द्वारा अनुबंध हेतु मासिक किराये की दर निम्न प्रकार से दी गयी है।

चालक सहित वाहन का मासिक किराया

1.इनोवा (नान ए.सी./ए.सी.) (डीजल) माडल 2016	रू0..........................
2.आर्टिगा(नान ए.सी./ए.सी.) (डीजल) माडल 2016	रू0 ....
3.स्कार्पियो(नान ए.सी./ए.सी.) (डीजल) माडल 2016	रू0 ....
4. अन्य एम0यू0वी0/MUV(नान ए.सी./ए.सी.) (डीजल) माडल 2016	रू0 ....

वाहन स्वामी के हस्ताक्षर,

नाम :

पूरा पता..

....

दूरभाष–...

निविदा शुल्क रसीद संख्या..............................

दिनांक...

राशि...

प्रति हस्ताक्षर